*अस्वीकरणः क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्धेश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा ।*

**रिर्पोटेबल**

**भारत के सर्वोच्च न्यायालय में**
**सिविल अपीलेट ज्युरिस्डिक्शन**

**सिविल अपील न0 5123–2019**
**( एस. एल. पी (सिविल) न0 23153– 2018 से उत्पन्न)**

परमिन्दर सिंह अपीलकर्ता

बनाम

न्यू इन्डिया एशुरेन्स को0 लि0 एवं अन्य प्रतिवादि

**निर्णय**

**इन्दु मल्होत्रा, न्यायामुर्ति.**

अनुमति प्रदान की गई

1- FAO No. 10473/2014 में पंजाब एवं हरयाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित किए गए निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.09.2017 को चुनौती देने के लिए अपील कर्ता ने मौजूदा सिविल अपील दायर की है ।

2- मौजूदा सिविल अपील की पृष्ठभुमि के तथ्य (संक्षिप्त में) इस प्रकार है :

2.1 29.03.2009 को अपीलकर्ता (ड्राईवर) हुंडई एलांट्रा कार चला रहा था; जिस में पंजाब के कैबिनेट मंत्री कैप्टन कंवलजीत सिंह ( लुधियाना से ) सफर कर रहे थे ।

2.2 लगभग 5:15 बजे, जब कार गॉव रवानपूर के करीब पहुॅची, तो एक ट्रक (पंजीकरण संख्या HR 55 B 9491) जिसे तेज गति एवं लापरवाही से चलाया जा रहा था, विपरित दिशा से बहुत तेज गति से आया और कार में जा घुसा । ये दुर्घटना एक अन्य ट्रक (पंजीकरण संख्या HR 58 A 9791) के चालक की अंशदायी लापरवाही के कारण घटित हुई, जो सड़क पर गलत ढंग से खड़ी थी।

2.3 घटना के परिणामस्वरूप, कैप्टन कंवलजीत सिंह एवं अपीलकर्ता चालक को गंभीर चोटें लगी। कैप्टन कंवलजीत सिंह ने उसी दिन अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया । अपीलकर्ता चालक बच तो गया , मगर हमेशा के लिए अपंग बन गया ।

2.4 अपीलार्थी को दर्दनाक चोटें लगीं जिसमें सर की चोट (traumatic subarachnoid hemorrhage) भी शामिल है, और उसे इसी के चलते hemi-craniotomy की प्रकिया से गुजरना पड़ा जिसमें खोपड़ी के सामने वाली हड्डी को हटा दिया जाता है। उसके दोनों जबड़ों की हड्डियॉ भी टूट गईं, जिसके चलते उसके चेहरे की आकृति बदल गई। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण, उसका बायां हाथ और पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था। अपीलकर्ता को पॉच सर्जरी से गुजरना पड़ा , जिसके लिए उसे बार–बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फॉलोअप उपचार के लिए उसे, आउटडोर पेशेंट के रूप में विभिन्न तारिखों पर PGI जाना पड़ा ।

2.5 08.09.2010 को मेडिकल बोर्ड ने अपीलार्थी का मुल्यांकण किया, जांच में यह पाया गया कि यह hemiplegia का मामला है, यानी शरीर के आधे हिस्से की कमजोरी (बायां साइड)। डॉक्टर ने यह कहा कि अपीलकर्ता मजदूर के रूप में काम करने, या कृषि कार्य करने या ड्राइवर के रूप में काम करने में सक्षम नहीं होगा। उसकी विकलांगता 75% मानी गयी जो स्थायी थी।

2.6 अपीलार्थी ने MACT , पंचकूला में उन दो ट्रकों ( जिनके कारण दुर्घटना हुई ) के मालिकों, चालकों एवं उनके बिमा कर्ता ( बिमा कंपनी ) के खिलाफ claim petition दायर किया, अपीलार्थी ने दावा किया कि दुर्घटना से पहले वह, ड्राईवर के रूप में 10,000/– माहवार कमाता था।

2.7 उत्तरवादी –बीमा कंपनी ने दलील दी कि दोनों गाड़ियों ( जिनसे दुर्घटना हुई ) के चालकगण वैध ड्राइविंग लाइसेंसों के बिना ट्रकों को चला रहे थे । बिमा कंपनी ने अपने RTO कार्यालय (मथुरा, यूपी) के एक Licensing clerk को पेश किया जिन्होंने यह बयान दिया कि इन चालकों के नाम से इनके कार्यालय द्वारा कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किया गया है । लाइसेंस अन्य व्यक्तियों के नाम जारी किए गए थे।

2.8 MACT ,पंचकूला ने अवार्ड दिनांक 25.1.2013 के जरिए claim petition को मंजूर किया तथा 10,43,666/– रू0 बतौर मुआवजा अपीलार्थी को अदा किया ।

MACT ,ने संकलित मासिक आय 6000/– (वार्षिक 72000/–) को अपना आधार बनाया, क्योंकि अपीलार्थी ने न तो कोई सबूत पेश किया और न ही किसी गवाह से अपनी आय को साबित करने के लिए गवाही दिलवायी।

कार्यात्मक विकलांगता के कारण आय के नुकसान का मुल्यांकन 75% पर किया गया , जो 54000/– वार्षिक बना। अपीलार्थी की आय को 18 से गुणा करने पर, भविष्य की कमाई के नुकसान के मद्धेनजर, मुआवजा की राशि 9,72,000/– बनी। अपीलार्थी को उसके चोटों के चलते, कुल 10,43,666/– रू0 7.5% वार्षिक ब्याज सहित, भुगतान किया गया ।

जहॉ तक मुआवजा के भुगतान की जिम्मेदारी का सवाल है, यह पाया गया कि दोनों ट्रकों के चालकों के पास घटना के समय वैध एवं प्रभावि ड्राईविंग लाईसेंस नहीं थे। नतीजतन MACT ने संयुक्त रूप से दोनो ट्रकों के मालिकों एवं ड्राइवरों को अपीलार्थी का

मुआवजा भुगतान करने का जिम्मेदार ठहराया । अतः बिमा कंपनी को मुआवजा भुगतान करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया ।

2.9 अपीलकर्ता ने पंजाब एवं हरयाणा उच्च न्यायालय में FAO No. 10473 of 2014 फाईल किया और यह आग्रह किया कि MACT , द्वारा दिये गए मुआवजे को बढ़ाया जाए।

अपने अंतिरिम आदेश दिनांक 11.07.2017 द्वारा, हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता को यह कहा कि वह अपना मुल्यांकण सरकारी हस्पताल, से0 6, पंचकुला के मेडिकल बोर्ड द्वारा फिर से करायें। चोटों की प्रकृति एवं विकलांगता प्रमाण पत्र का आंकलन करने के बाद, हाई कोर्ट ने अपना मत यह दिया कि अपीलकर्ता की विकलांगता 100% है, क्योंकि अब वह किसी तरह से कोई काम करने के लायक नहीं बचा है तथा जिवित रहने के लिए वह पूरी तरह से अपने परिवार पर आश्रित है। हाईकोर्ट ने अपने impugned फैसला एवं आदेश दिनांक 20.09.2017 के जरिए FAO को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए उसके मुआवजे को बढ़ाकर Rs. 21,06,000/- कर दिया । मुआवजा को इस लिए बढ़ाया गया क्योंकि अपीलकर्ता की विकलांगता 100% थी और वो काई काम करने लायक नहीं बचा था। हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता की आय पर 50% की दर से Future Prospects को मंजूर किया ।

उत्तरवादी –बीमा कंपनी को आदेश दिया गया कि वे पहली फुरसत में अपीलकर्ता को मुआवजे का भुगतान करें तथा उन दोनों ट्रकों ( जिनकी वजह से घटना हुई ) के मालिकों एवं ड्राइवरों से इसकी वसूली करें।

3- मौजूदा सिविल अपील, अपीलकर्ता ने इस लिए फाईल की है कि उसकी मूआवजा राशी को बढ़ाकर 1,75,61,000/- किया जाए, क्योंकि वो हमेशा के लिए विकलांग हो गया है, यानी की उसकी जिंन्दगी अब दूखों भरी है, एवं उसे एक स्थायी attendant की जरूरत है।

4- हमने अपीलकर्ता के वकील की बहस सुन ली है। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को कोर्ट में पेश किया गया था। हमने प्रतिवादी (Insurance Company) के वकील को भी सुन लिया है एवं रिकार्ड पर आए सभी Pleadings का आंकलन कर लिया है।

उन दोनों ट्रकों ( जिनकी वजह से घटना हुई ) के मालिक एवं ड्राइवर पूरी proceedings में एक बार भी पेश नहीं हुए ।

5- हमने यह पाया है कि MACT , ने अपीलकर्ता को देय मुआवजा राशि का हिसाब एक खयाली आय यानी कि Rs. 6000/- प्रतिमाह के अनुसार लगाया क्योंकि उसकी ( अपीलकर्ता) की आय के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिया गया ।

5.1 लेकिन इस कोर्ट में अपीलकर्ता ने अपने employer द्वारा दिये गए हल्फ नामा को पेश किया है, इस हल्फनामा के अनुसार घटना के समय, अपीलकर्ता Rs. 10,000/- महीना कमाता था ।

5.2 इस हल्फनामा ( जो अपीलकर्ता के employer ने जमा किये हैं ) की बुनियाद पर, अपीलकर्ता के देय मुआवजा का हिसाब लगाने के लिए हम यह मानते हैं कि अपीलकर्ता की आय घटना के समय Rs. 10,000/- प्रतिमाह थी।

5.3 अपीलकर्ता की आय Rs. 10,000/- में अगर Future Prospect @ 50% ( जिसे हाई कोर्ट ने मंजूर किया है ) जोड़ देते हैं, तो अपीलकर्ता की मासिक आय Rs. 15,000/- हो जाती है।

5.4 घटना के समय अपीलकर्ता की आयू 23 वर्ष थी। अगर हम 18 से गुना करते हैं, तो अपीलकर्ता को भविष्य में होने वाली कमाई का जो नुकसान हुआ है, वह इस तरह होगा– 15,000 x 12 x 18 = 32,40,000/-.

5.5 हाई कोर्ट ने यह सही आकलन किया है कि अपीलकर्ता की विकलांगता 100% है। अपीलकर्ता को 'hemiplegia' बिमारी है, जिस की वजह से उसकी बॉडी का बायॉ हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता है। क्योंकि वो स्थायी रूप से विकलांग हो गया , इसीलिए वो न तो शादी करने के लायक रहा और न ही एक सामान्य जिन्दगी गुजारने के काबिल। वह अब पूरी जिन्दगी कमाने के लायक नहीं रहा । वह अब पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर बन गया है।

Govind Yadav Vs. The New India Insurance Company Ltd. ,में इस कोर्ट ने यह माना कि

> "18. हमारे विचार से अरविंद कुमार मिश्रा बनाम "न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेउ (सुपरा) एवं राज कुमार बनाम अजय कुमार (सुपरा) में निर्धारित किए गए सिद्धांतों का सभी प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालयों द्वारा आवश्यक रूप से मुआवजा की राशि की मात्रा के निर्धारण में पालन करना चाहिए, जो दुर्घटना के उन पिड़ितों को देय है, जो दुर्घटना के बाद स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से विकलांग हो जाते है। यदि दुर्घटना का पिड़ित स्थयी रूप स विकलांग हो जाता है, तो न केवल शारिरिक चोट एवं उपचार के लिए पर्याप्त मुआवजा देने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, बल्कि उसे कमाई के रूप में जो नुकसान हुआ उसके लिए भी एवं एक सामान्य जिन्दगी गुजारने में असक्षम हो जाने ( जो वह गुजार सकता था, अगर दुर्घटना न हुई होती तो ) के कारण भी ।

K. Suresh बनाम India Assurance Company Ltd. में इस कोर्ट ने यह माना है कि :–

> "10. यह बताना उल्लेखनिय है कि मुआवजे की मात्रा का निर्धारण करते समय adjudicating authority को घायल व्यक्ति के कष्टों को ध्यान में रखना पड़ता

है जिसमें पुर्ण जीवन व्यतीत करने में उसकी असक्षमता, सामान्य सुविधाओं का आनंद लेने में उसकी असक्षमता शामिल होंगी, जो वह कर सकता था अगर उसे चोटें न आतीं , तथा उसकी कमाने की जो क्षमता थी या जितना वह कमा सकता था उसे भी मद्धेनजर रखना पड़ता है। इसलिए , मुआवजे के निर्धारण करते वक्त न्यायाधिकरण या अदालत को अपने दृष्टिकोण को व्यापक रखना होगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ अनुमान से भी काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मुआवजे की मात्रा को निर्धारित करने के लिए कोई गणितिय सटिकता या कोई सटिक सुत्र नहीं हो सकता । मुआवजे के निर्धारण में न्यायपूर्ण मुआवजा, हीं मूलभूत कसौटी होनी चाहिए ।

राजकुमार बनाम अजय कुमार एवं अन्य में इस कोर्ट ने यह माना कि :

"वास्तविक कमाई की क्षमता पर स्थायी विकलांगता के असर का पता लगाने के लिए तीन चरण की जरूरत पड़ती है। ट्रिब्यूनल को पहले यह पता लगाना होगा कि स्थायी विकलांगता के बावजूद दावेदार किन गतिविधियों को अंजाम दे सकता है और स्थायी क्षमता के परिणामस्वरूप वह क्या नहीं कर सकता ( यह loss of ameneties of life के हेड के अंतर्गत मुआवजा देने के लिए भी प्रासंगिक है )। दूसरा कदम दुर्घटना से पहले उसके काम, पेश एवं काम की प्रवृति का पता लगाना है, साथ ही उसकी उमर भी। तीसरा चरण यह पता लगाना है कि क्या दावेदार (i) किसी भी तरह की आजिविका कमाने से पूरी तरह से असक्षम है या (ii) क्या स्थायी विकलांगता के बावजूद , दावेदार अभी भी प्रभावी रूप से गतिविधियों और कार्यो को कर सकता है, जो वह पहले करता था या (iii) क्या उसे अपनी पिछली गतिविधियों और कार्यो का निर्वाहण करने पर प्रतिबंधित किया गया था; लेकिन कुछ दुसरा काम या कोई छोटा काम कर सकता है, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके । उदाहरण के लिए अगर पिड़ित का बायॉ हाथ कट गया है, तो स्थायी शारिरिक या कार्यात्मक विकलांगता का मुल्यांकण लगभग 60% हो सकता है। यदि दावेदार एक ड्राइवर या बढ़ई था, तो कमाई की क्षमता का वास्तविक नुकसान लगभग सौ प्रतिशत हो सकता है अगर वह न तो गाड़ी चलाने में सक्षम है और न हीं

कारपेंटरी करने में सक्षम हैं । दूसरी तरफ, अगर दावेदार सरकारी सेवा में एक क्लर्क था, उसके बायें हाथ खत्म हो जाने से उसकी नौकरी नहीं जा सकती और वह कलर्क के पद पर काम कर सकता है एवं इस स्थिति में कमाई की क्षमता का नुकसान 100% नहीं माना जाएगा जैसे कि ड्राइवर या बढ़ई के केस में होता है, न हीं कमाई की क्षमता का नुकसान 60% माना जाएगा, जो कि वास्तविक शारिरिक विकलांगता है, बल्कि इस से भी कहीं कम। वास्तव में, यदि दावेदार सरकारी नौकरी में बरकरार रहता है तो "भविष्य की कमाई के नुकसान" के तहत किसी भी मुआवजे को देने की आवश्यकता नहीं है, हालॉकि एक हाथ गंवाने के फलस्वरूप उसे 'loss of amenities' के हेड के तहत मुआवजा दिया जा सकता है। कभी कभी घायल दावेदार को सेवा में जारी रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह पद या नौकरी से जुड़े कर्तव्यों का निर्वाहन अपनी विकलांगता के कारण करने के लिए उपयुक्त न हो, (जो वह पहले करता था) तथा इसीलिए उसे किसी अन्य उपयुक्त लेकिन छोटे पोस्ट (कम तन्खाह वाली) पर लगाया जा सकता है, एवं इस स्थिति में उसकी कमी हुई कमाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए "भविष्य की कमाई की क्षमता के नुकसान" के तहत एक सिमित मुआवजा का प्रावधान होना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब भविष्य की कमाई की क्षमता के नुकसान को 100% मानकर ( या 50% से अधिक कुछ भी ) मुआवजा दिया जाता है तो फिर अलग से "सुविधाओं के नुकसान" के तहत या "जिन्दगी के अरमान के नुकसान" के तहत मुआवजा देने की जरूरत नहीं रह जाती, तथा फलस्वरूप सिर्फ एक टोकण या नाममात्र राशि बतौर मुआवजा सुविधाओं के नुकसान, के तहत या जिन्दगी के अरमान के नुकसान के तहत दिया जा सकता है, अन्यथा मुआवजा के भुगतान में duplication हो सकता है, चाहे जो भी हो ।

5.6 मौजूदा केस में, यह स्थिति स्वीकार ली गई है कि अपीलार्थी के लिए यह संभव नहीं है कि वह ड्राइवर के तौर पर नौकरी करे या किसी भी तरह का काम, चाहे वह कृषि से संबंधित हो, या मैनुअल लेबर वर्क हो, नहीं कर सकता।

इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने उसकी कार्यात्मक विकलांगता को 100% आंका है, जो कि बिल्कुल सही है जहॉ तक उसकी कमाई करने की क्षमता का सवाल है। इसीलिए अपीलार्थी

को आय अर्जित करने की क्षमता में नुकसान के लिए Rs. 32,40,000/- अर्वाड किया जाता है।

5.7 हम यह भी मानते हैं कि अपीलार्थी को उसके इलाज के खर्चे के लिए दिया गया मुआवजा अत्यधिक अपर्याप्त है। अपीलार्थी के पॉच ऑपरेशन्स हुए हैं; जिनमें सिर में लगी गंभीर चोट की एक सर्जरी और एक गले की सर्जरी भी शामिल हैं। हॉस्पीटल में लगातार भर्ती रहने, ऑपरेशन्स एवं चिकित्सा उपचार के लिए अपीलार्थी को न तो MACT और न हीं हाई कोर्ट द्वारा कोई राशि प्रदान की गई है ।

केस के तथ्यों एवं हालात को देखते हुए हॉस्पीटलाइजेशन एवं medical expenses के लिए अपीलार्थी को एक मुश्त राशि Rs. 7,50,000/- का भुगतान करना उचित एवं मुनासिब होगा ।

5.8 अपीलार्थी को हमारे सामने पेश किया गया । वह अत्यंत दयनीय अवस्था में था। उसके खोपड़ी के सामने की हड्डी के हट जाने के कारण उसके सिर का आधा भाग अंदर धंस गया था। इसके अलावा, उसके गले में एक गहरा गोलाकार चीरा लग गया था। उसका शरीर अस्थिर अवस्था में था। वह कॉप रहा था। अपीलकर्ता को hemiplegia बीमारी भी हो गई है, जिसके चलते उसके शरीर का बायॉ भाग ठीक से काम नहीं कर रहा है ।

5.9 अपीलकर्ता की दुर्बल अवस्था को देखा जाए, तो कोई भी राशि उसकी भरपाई नहीं कर सकता । वह 22 साल की उम्र से इस अवस्था में है, जब यह घटना हुई थी। वह पूरी जिन्दगी इसी अवस्था में रहेगा। अपीलकर्ता अब एक सामान्य शादी शुदा जिन्दगी भी नहीं गुजार सकता । उसे समय समय पर चिकित्सा सहायता की जरूरत होगी। चूँकी अब वह पूरी तरह से एक

dependent व्यक्ति बन गया है, अतः उसे पूरी जिन्दगी एक attendant की जरूरत पड़ेगी ।

इन ना काबिले तरदीद तथ्यों को देखते हुए, हम यह समझते हैं कि चिकित्सा व्यय एवं attendant charge के तौर पर, अपीलकर्ता को एक मुश्त राशि Rs. 10,00,000/- मुआवजा दिया जाए।

6- उपरोक्त चर्चा के मद्धेनजर अपीलकर्ता निम्नलिखित राशियॉ पाने का हकदार है ।

i) अपीलकर्ता के मासिक वेतन Rs. 10,000/- P.M को मानते हुए एवं Future Prospects 50% मंजूर करते हुए, अपीलकर्ता को भविष्य की कमाई के रूप में हुए नुकसान की भरपाई के लिए Rs. 32,40,000/- अर्वाड किया जाएगा ।

ii) पॉच ऑपरेशन्स एवं मेडिकल ट्रीटमेंट के चलते बार–बार अस्पताल में भर्ती होने एवं चिकित्सा खर्चा के रूप में Rs. 7,50,000/- अवार्ड किया जाएगा ।

iii) भविष्य में होने वाले चिकित्सा व्यय तथा attendant charge के रूप में Rs. 10,00,000/- अवार्ड किया जाए ।

iv) उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया 9% ब्याज, क्लेम पीटिशन से वसूली की तरीख तक ।

7- जहॉ तक देय मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदारी का सवाल है, हम उच्च न्यायालय के ख्याल की पुष्टि करते हैं कि उत्तरदाता – बीमा कंपनी पर मुआवजा भुगतान करने की जिम्मेदारी आयेद नहीं होती, क्योंकि Regional Transport Office ने सबूत पेश कर के यह साबित कर दिया है कि दोनों गाड़ियों (जिनके द्वारा घटना हुई थी ) के चालक अवैध ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर गाड़ी

चला रहे थे। यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि offending trucks के मालिक एवं चालक इस केस की कार्यवाही के किसी भी स्टेज पर ( बशमुल यह कोर्ट ) पेश नहीं हुए हैं।

7.1 Shamana & Ors. V. The Divisional Manager, The oriental Insurance Co. Ltd. & Ors. में इस न्यायालय ने यह माना है कि अगर offending vehicle का ड्राइवर के पास वैध्य ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं है तो 'Pay and recover' के सिद्धांत के तहत बीमा कंपनी को पिड़ित को भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है एवं उसके बाद वह offending vehicle के मालिक से राशि की वसूली करे ।

7.2 अतः हम यह उचित समझते हैं एवं बीमा कंपनी को यह आदेश देते हैं कि वह मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का भुगतान ( जो पैरा 6 में वर्णित है) अपीलार्थी को 12 हफतों के अंदर ( इस फैसले की तारीख से ) करे। बीमा कंपनी को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट जारी करे जिसका इस्तेमाल उसकी जिन्दगी के देखभाल के लिए हो सके। उत्तरदाता – बीमा कंपनी को यह हक है कि वह इस राशि की वसूली offending vehicles के ड्राइवर एवं मालिक से करे।

सिविल अपील को उपर्युक्त शर्तों के साथ मंजूर किया जाता है। सभी दरखास्तें, अगर कोई है, तदानूसार निपटाए जाते हैं ।

**न्यायमूर्ति**
**इन्दु मल्होत्रा**

**न्यायमूर्ति**
**एम0 आर0 शाह,**

**जुलाई 01, 2019**
**नई दिल्ली**

××××××××

*अस्वीकरणः क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्धेश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा ।*

*Disclaimer:-The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

Translated by Syed Kashif Raza Sabri, Translator. Typed by Neeraj Kumar Mishra. Senior Assistant.